




LABOUR DEPARTMENT HARYANA

[Home](#)[About](#) ▾[Labour laws](#)[Duties And Functions](#) ▾[RTS](#)[BRAP](#) ▾[E-Services](#) ▾[Miscellaneous](#) ▾[SO](#)

» [Scheme Detail / इस योजना का विस्तार](#)

[Home \(मुख्य पृष्ठ\)](#) > [Scheme detail \(इस योजना का विस्तार\)](#)

कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता



Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों का व्यवसायिक/तकनीकी कोर्सों में डिग्री डिप्लोमा जैसे मैडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन, एम.सी.ए., कानून, फैशन डिजाईनिंग आदि में दाखिला हेतु कोचिंग कक्षाओं के लिए 20 हजार रूपये एवम् यु०पी०एस०सी०/एच०पी०एस०सी० की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 1 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तें:

- पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
- छात्र/छात्रा कोचिंग कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में कोचिंग के मुख्या द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
- कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता तीन बच्चों तक तक देय होगी।
- यह सहायता केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी।

Eligibility / पात्रता

- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Benefits / लाभ

Rs.20000

Process / प्रक्रिया

documents / दस्तावेज

[Download Undertaking](#)

Work Slip / काम पर्ची

[Download Work Slip](#)

Other Schemes / अन्य योजनाएं

- » [कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता](#)
- » [व्यवसायिक/तकनीकी संस्कार का वित्तीय सहायता](#)
- » [विधवा पैशन](#)
- » [कामगारों के मेधावी बच्चों \(छात्रों\) के लिए प्रोत्ताहन राशी \(10वीं और 12वीं\)](#)
- » [प्रोफेशनलटेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता](#)
- » [शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता \(नियम 6\)](#)
- » [बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता \(सुपु \(शादी के तीन दिन पूर्व\) \(नियम 61\)](#)
- » [मातृत्व लाभ \(नियम 50\)](#)
- » [पितृत्व लाभ \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [औजार \(ट्रूल किट\) खरीदने हेतु उपदान \(नियम 55\)](#)
- » [मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [सिलाई मशीन योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [साइकिल योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [कन्यादान योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता \(सुपु \(नियम 61\)](#)
- » [बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता \(सुपु \(नियम 61\)](#)
- » [पैतृक घर जाने पर किराया \(धारा 22\(1\)\)](#)
- » [मुफ्त भ्रमण सुविधा \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [अंपगता सहायता \(नियम 59\)](#)
- » [अंपगता पैशन \(नियम 54\)](#)
- » [चिकित्सा सहायता \(मजदूरी क्षतिपूर्ति\) \(नियम 59\)](#)
- » [घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तीय सहायता \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण \(नियम 53\)](#)
- » [पेशन की योजना \(नियम 51\)](#)
- » [परिवारिक पैशन \(नियम 62\)](#)
- » [मुख्यमंत्री सामिजिक सुरक्षा योजना \(नियम 57\)](#)
- » [मृत्यु सहायता \(नियम 57\)](#)
- » [दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता \(नियम 56\)](#)